

नमूना, यह पृष्ठ केवल संदर्भ के लिए है.



EDD टोल-फ्री टेलीफोन नंबर:

| | |
|-----------------------|----------------|
| अंग्रेजी | 1-800-300-5616 |
| स्पैनिश | 1-800-326-8937 |
| मैंडारिन | 1-866-303-0706 |
| त्रियतनामी | 1-800-547-2058 |
| कैंटोनीज़ | 1-800-547-3506 |
| स्वयं-सेवा | 1-866-333-4606 |
| TTY (बिना आवाज़ वाला) | 1-800-815-9387 |

डाक भेजने की तारीख: 00/00/0000

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए: 000000000000

BYB: 00/00/0000

दावेदार का नाम

दावेदार का पता

शहर, राज्य, ज़िप कोड

क्षेत्रीय कार्यालय

सड़क का पता

शहर, राज्य, ज़िप कोड

क्षेत्रीय कार्यालय का पता

अपील की प्रक्रिया के दौरान बेरोज़गारी बीमा लाभों को प्राप्त करने के अधिकार का नोटिस

विभाग के हाल ही के फैसले के संबंध में आपके पत्र की छपी हुई/प्राप्ति की दिनांक 00/00/0000 है, जिसकी प्राप्ति को स्वीकार किया जाता है। इस फैसले को सावधानी से समीक्षित किया गया है और हमें यह सही प्रतीत होता है। इस अपील पर कार्रवाई करके XXXX अपील कार्यालय, टेलीफोन नंबर 000-000-0000 पर भेज दिया गया है।

00/00/0000 को समाप्त होने वाले सप्ताह(सप्ताहों) के बेरोज़गारी बीमा (Unemployment Insurance (UI)) लाभ के दावा फ़ार्म को एक अलग लिफ़ाफे में भेजा जा रहा है। आपको यह अधिकार है कि आप अपनी अपील के दौरान UI लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप UI लाभों को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो भी आपको नियमित रूप से बेरोज़गारी के प्रत्येक सप्ताह के लिए लाभों को प्रमाणित करना जारी रखना चाहिए जब तक कि आपको प्रशासनिक कानून न्यायाधीश का निर्णय ना मिल जाए।

अगर आप अपील की सुनवाई के दौरान UI लाभों को प्राप्त करने का फैसला लेते हैं, तो विभाग उन UI लाभों का भुगतान करेगा अगर आप अन्यथा पात्र हैं। अगर न्यायाधीश विभाग के निर्णय का दावा करते हैं, तो आपको जो भी UI लाभ मिलते हैं, उन्हें आपको वापस करना पड़ सकता है।

अगर आप अपील की सुनवाई के दौरान UI लाभों प्राप्त नहीं करने का फैसला लेते हैं, और फिर न्यायाधीश विभाग के दावा करने के निर्णय को बदल देते हैं और यह पाते हैं कि आप पात्र हैं, तो आपको केवल उन सप्ताहों के लिए UI लाभों का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए आपने दावा फ़ार्म जमा किया है और सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा किया है।

अपील कार्यालय आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें आपकी सुनवाई की तारीख, समय और स्थान बताया गया होगा। आपको सुनवाई में उपस्थित होने का हर संभव प्रयास करना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक और लिखित सबूतों के आधार पर ही अपना निर्णय देंगे। सुनवाई के दौरान, आपको तथ्यों की जानकारी देने और अपने मामले के समर्थन में सबूत पेश करने की अनुमति दी जाएगी।

कृपया उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाकर, नीचे अपना निर्णय बताएं। आपको इस फ़ार्म पर हस्ताक्षर करके, तारीख डालकर वापस भेजना होगा।

- मैं चाहता हूँ कि अपील की अवधि के दौरान विभाग मुझे UI लाभों का भुगतान करे। अगर अपील पर फैसला मेरे खिलाफ आता है, तो मैं समझता/ती हूँ कि मैं ऐसे लाभों के पुनर्भुगतान के लिए ज़िम्मेदार हो सकता हूँ।
- मैं यह समझता/ती हूँ कि मुझे अपील की अवधि के दौरान UI लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन मैं यह चाहता/ती हूँ कि मेरे UI लाभों को अपील के परिणाम के इंतजार तक स्थगित कर दिया जाए।

दावेदार के हस्ताक्षर

00/00/0000

हस्ताक्षर किए जाने की तारीख

जब आप इस फ़ार्म को पूरा कर लें और हस्ताक्षर कर दें, तो इसे दिए गए लिफ़ाफे में डालकर तुरंत हमारे कार्यालय को भेज दें।